बीईएफ

(मास्टर परिपत्र का भाग III का पैरा 10(ii) देखें)

अनुस्मारक भेजने के बावजूद दस्तावेज़ी साक्ष्य प्राप्त न होने पर,

आयात के लिए भेजे गए प्रेषणों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा का नाम और पता ----------

प्राधिकृत व्यापारी बैंक के नियंत्रक शाखा का नाम ----------

----------को समाप्त अर्ध-वार्षिक विवरण

टिप्पणी :

i. विवरण, दो प्रतियों में, रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए जिसके क्षेत्राधिकार में प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा कार्यरत है।

ii. विवरण में में केवल उन लेनदेनों के ब्योरे को शामिल किया जाए जहाँ प्रेषण राशि 100,000 अमरकी डॉलर से अधिक या उसके समतुल्य हो।

iii. जहां अग्रिम प्रेषण के समय प्रेषण का प्रयोजन आयात था और बाद में मुद्रा का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए मुद्रा की विक्री अनुमत है और प्राधिकृत व्यापारी बैंक की संतुष्टि के अनुसार दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं, तो ऐसे मामलों को चूक न समझा जाए, अतः उन्हें बीईएफ विवरण में शामिल न किया जाए।

iv. प्राधिकृत व्यापारी बैंक "इनटु बाण्ड बिल ऑफ एन्ट्री" को भारत में आयात के अनंतिम साक्ष्य के रूप में स्वीकार करें। फिर भी वे यह सुनिश्चित करें कि घरेलू उपभोग के लिए बिल ऑफ एंट्री की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति उचित अवधि में प्रस्तुत की जाती है। जहां सीमा शुल्क ने ईडीआई प्रणाली का उपयोग किया है और आयातक को सीमा शुल्क से "एक्स बांड बिल ऑफ एन्ट्री" की केवल एक प्रतिलिपि प्राप्त होती है प्राधिकृत व्यापारी बैंक आयातक को यह सूचित करें कि वे माल को वेअरहाऊस/बांड से निकालने के पश्चात घरेलू उपयोग के लिए "एक्स बांड बिल ऑफ एन्ट्री" की फोटो कॉपी प्रस्तुत करें जिसे प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा यथावत सत्यापित कराने के बाद आयात के अंतिम साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाए। जहां "इनटु बॉण्ड बिल ऑफ एन्ट्री" प्रस्तुत किया गया है ऐसे मामलों को बीईएफ विवरण में रिपोर्ट न किया जाए।

v. विवरण में भारत से 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के सभी प्रेषणों या आयात संबंधी विदेश से प्राप्त भुगतान, अग्रिम भुगतान, विलंबित भुगतान आदि के ब्योरे निधीयन के स्रोत पर ध्यान दिए बगैर शामिल किए जाएं (जैसे ईईएफ़सी खाते/भारत या विदेश में रखे गए विदेशी मुद्रा खाता, बाह्य वाणिज्यिक उधारों से भुगतान, आयातक के शेयरों में विदेशी निवेश आदि)।

vi. पिछले छमाही विवरण के भाग - I में रिपोर्ट किए गए मामलों को चालू छमाही विवरण के भाग I में पुनः रिपोर्ट न करें ।

vii. जिन मामलों में रिपार्ट के लिए कोई लेनदेन नहीं है उन मामलों में "कुछ नहीं" विवरण प्रस्तुत किया जाए।

viii. विवरण जिस छमाही से संबधित है उसकी समाप्ति के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

भाग I

आयात के दस्तावेजी सबूत पेश करने में चूक करने वाले आयातकों से संबधित जानकारी

क्रम संख्या	आयातक/ निर्यातक कूट सं	आयातक का नाम और पता	आयात लाइसेंस की सं. और तारीख अगर हो	मालों का संक्षिप्त वर्णन	प्रेषण / भुगतान की तारीख	करेंसी और राशि	समकक्ष रुपये	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों के अलावा अन्य पार्टियों द्वारा आयात								
1								
2								
3								
4								
आदि								
आ : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों द्वारा आयात								
1								
2								
3								
4								
5								
आदि								

भाग II

अनुवर्ती बीईएफ विवरण/विवरणों के भाग I में सूचित आयातकों से बाद में प्राप्त आयात के दस्तावेज़ी साक्ष्यों के संबंध में जानकारी

क्रम संख्या	आयातक का नाम और पता	बीईएफ विवरण की अवधि और पूर्ववर्ती बीईएफ विवरण की भाग I में रिपोर्ट किए गए लेनदेन की क्रम सं.	प्राप्ति की तारीख	प्रेषण की राशि		टिप्पणी
				करेंसी और राशि	समतुल्य रुपये	
1	2	3	4	5	6	7
अ: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों से इतर अन्य पार्टियों द्वारा आयात						
1						
2						
3						

4					
आदि					
आ : : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों द्वारा आयात					
1					
2					
3					
4					
5					
आदि					

टिप्पणी : पिछले अर्ध वर्ष के दौरान बीईएफ विवरण के भाग II में रिपोर्ट किए गए लेनदेनों को चालू अर्ध वर्ष के भाग II में दुबारा न रिपोर्ट न किया जाए ।

प्रमाणपत्र

i हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे रिकार्ड के अनुसार उक्त जानकारी सत्य और सही हैं ।

ii इसके अतिरिक्त हम यह भी प्रमाणित करतें हैं कि निर्धारित प्रणाली के अंतर्गत रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक सभी मामलों को विवरण में शामिल किया गया है।

iii हम वचन देते हैं कि विवरण के भाग I में रिपोर्ट किए गए मामलों के बारे में आयातक से पूछताछ जारी रखेंगे।

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

स्टैंप

स्थान :

तारीख :

नाम :

पदनाम :

अनुबंध - ।

प्रेषिती

ऋण पहचान सं. : एसटीसी/(बैंक/शाखा का नाम)/(पहचान सं.)

महोदय,

मेसर्स ---------- से अमरीकी डॉलर (अथवा किसी अन्य विदेशी मुद्रा)

के लिए अल्प कालिक विदेशी मुद्रा ऋण /उधार हेतु प्रस्ताव

कृपया उपर्युक्त अल्प कालिक उधार के लिए फॉर्म ईसीबी में दिनांक---------का अपना आवेदन पत्र देखें । हम यह सूचित करते हैं कि आपको आयात के प्रयोजन हेतु अल्प कालिक उधार लेने के लिए हमारा अनुमोदन है ।

2. ऋण के ब्योरे :

i) उधारदाता का नाम
ii) उधारकर्ता की श्रेणी
iii) उधारदाता का देश
vi) आयात की गयी / की जानेवाली प्रस्तावित वस्तु
v) आयात की वस्तुओं का प्रकार
vi) उधार का प्रकार
vii) ऋण की मुद्रा और राशि
viii) ऋण की अवधि
ix) ब्याज की दर
x) अन्य प्रभार, यदि कोई हो,
xi) पुनर्भुगतान शर्ते
xii) ऋण की प्रतिभूति (यदि कोई हो)
xiii) आहरण की कमी की प्रत्याशित तारीख

3. इस ऋण/उधार को आबंटित ऋण पहचान संख्या इस ऋण/उधार से संबंधित इस कार्यालय को प्रेषित सभी पत्राचार में अनिवार्यत: दर्शायी जाए ।

4. अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

i) यह अनुमोदन जारी करने की तारीख से 3 महीनों की अवधि के लिए वैध है ।
ii) ऋण अनुमत मुद्रा में आहरित किया जाना चाहिए और पुनर्भुगतान अनुमत मुद्रा में किया जाना चाहिए । बहु मुद्रा विकल्प उपलब्ध नहीं है ।
iii) ऋण/उधार का उपयोग वह जिस प्रयोजन के लिए अनुमत किया गया है उसके लिए ही किया जाना चाहिए ।
vi) इस अनुमोदन के तहत लिये जानेवाले अल्प कालिक उधार का पुनर्भुगतान नियत तारीख को किया जाना चाहिए । (तथापि, पुनर्निर्धारणीय ऋण, यदि कोई हो तो 3 वर्षों से कम अवधि तक प्राधिकृत व्यापारी द्वारा और 3 वर्षों से उपर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किया जा सकता है)।
v) उक्त ऋण भारत सरकार की प्रचलित आयात-निर्यात नीति के अनुपालन की शर्त के अधीन है ।
vi) यदि आयात ''वसूली आधार'' पर की जाती है तो प्राधिकृत व्यापारी को 24 अगस्त 2000 केए.पी.(डीआइआर सिरीज) में निहित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ।
vii) आपको वस्तुओं,जिसके लिए ऋण लिया गया है, की आयात सुनिश्चित करनी चाहिए और दस्तावेजी साक्ष्य हमें यथा समय प्रस्तुत करनी चाहिए ।

5. उधारकर्ता को फॉर्म ईसीबी-5 में ऋण के संबंध में बकाया राशि का विवरण दो प्रतियों में तैयार करना चाहिए ।उक्त विवरण की एक प्रतिलिपि ऋण का पूर्ण रुप से पुनर्भुगतान होने तक विवरण जिस महीने के बारे में है उसके आगामी महीने की 10 तारीख तक मासिक आधार पर मुख्य महाप्रबंधक,विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

6. कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त ऋण/उधार के तहत देय ब्याज (और अन्य शुल्क आदि)आय कर के लिए जिम्मेदार है और अतएव आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर रोक रखने की शर्त पर है ।

भवदीय

टिप्पणी : यह पत्र विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के प्रावधानों के तहत विदेशी मुद्रा की दृष्टि से जारी किया जाता है और इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि इसे किसी अन्य नियमों/विनियमों के तहत किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी अथवा सरकार द्वारा अनुमोदन है । यदि संबंधित नियमों/विनियमों के तहत किसी अन्य विनियामक प्राधिकारी अथवा सरकार से अनुमोदन अथवा अनुमति आवश्यक है तो आवेदक को लेनदेन करने से पहले संबंधित एजेंसी का अनुमोदन लेना चाहिए । साथ ही, इसका अर्थ किसी अन्य नियमों/विनियमों के प्रावधानों के तहत किसी अनियमितताएं, उल्लंघन अथवा अन्य चूकों को नियमित अथवा वैध करने के रुप में नहीं लिया जान चाहिए ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. महा प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग (कार्यालय का नाम) ।